

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2019 को 11.2019 से 31.12.2019 तक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है श्री. डी. डी. सिंघ .....
2. वर्तमान धारित पद उप निदेशक .....
3. वर्तमान वेतन 1,12,800+DA ... आगती वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2020 .....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिभुक्ति
	(1)	(2)						
1. जिला - अयोध्या दक्षिण - 5523 ग्राम - बेजारी प्लॉट नं. 35	PLAT No-1513 Block- B Berna Kungy Khalai Road		कुल क्षेत्रफल 2,65,000/- विद्यमान अन्य संपत्तियाँ कुल 30,00,000/-	कुल मूल्य 6,60,000/- विद्यमान अन्य संपत्तियाँ कुल 90,00,000/-	स्वयं	कुल रि. 25,06.92	कुल आय 12,915-28.5-2003 अर्जित अजिला अंशहीन	कुल आय 3000 अंशहीन अर्जित विभाग से अंशहीन ग्राम पट्टि 2003
2. जिला - इंदौर दक्षिण - 5517	700-सेक्टर A, इंदौर ग्राम 5517				अर्जित अजिला अंशहीन रि. 0.4. सिंघ	कुल 12,915-28.5-2003 अर्जित अजिला अंशहीन	कुल आय 3000 अंशहीन अर्जित विभाग से अंशहीन ग्राम पट्टि 2003	

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
\*\* ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Manoj  
नाम श्री. डी. डी. सिंघ  
पद उप निदेशक  
विभाग शासकीय अंशहीन अजिला अंशहीन  
दाखिल

फार्म 01-01-2019 से 31.12.2019 की स्थिति में  
 प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक

1. अधिकार/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : Dr. Sunil Kumar Jain 2. वर्तमान धारित पद Station Zonal In-charge  
 3. वर्तमान वेतन : 131800/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : 1 July 2020

उस किले, उप संभाग, जिल्ला तथा प्रांत का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया •• खरीद, पट्टे, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Nil				

इसका... 6 July 15.1.20  
 नाम : Dr. Sunil Kumar Jain  
 पद : Station Zonal In-charge  
 विभाग : Station Zonal In-charge  
Station Zonal In-charge  
Station Zonal In-charge

• जहां लागू न हो आठ दीवियां।  
 • ऐसे मामले में बड़ी मूल्य का सही-सही निर्वारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के तदर्थ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 •• इनमें आरक्षण/अर्जित पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 ••• दिव्यांगी : बंधक/देना शासकीय सेवाएं (अदरक) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थों में प्रत्येक सेवा के अर्जित होने तथा दायीय सेवा के अर्जित होने से यह अपेक्षित है कि यह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अवधि के पर्याय यह प्रमाण-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अर्जित आय का उसे विवरण में मिलती या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।



फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-1973 तक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री 39600 अमली केतवर्द्धि की तारीख 1-7-10-10
2. वर्तमान धारित पद कीमतीकरण
3. वर्तमान वेतन 39600 अमली केतवर्द्धि की तारीख 1-7-10-10

उस जिले, उप संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		परि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावे कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** छरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
	गिरे	गिरे	गिरे	गिरे	गिरे	

इस्तावर श्री 39600 अमली केतवर्द्धि की तारीख 1-7-10-10  
 नाम : श्री 39600 अमली केतवर्द्धि की तारीख 1-7-10-10  
 पद : कीमतीकरण  
 विभाग (कीमतीकरण विभाग)

\* यहां स्पष्ट न हो कर दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इन्हें अल्पसंख्यक पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्वयण में भी उक्त सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पेशगी की अवधि के परमाणु पर पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवस्था उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के खीरे हैं।

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01-01-2019 की स्थिति में 31-12-2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अशोक अग्रवाल

2. वर्तमान धारित पद अतिरिक्त अधिकारी

3. वर्तमान वेतन ₹=49500/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वीर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शास्त्रीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<u>खेत</u>	<u>-</u>	<u>₹ 1000000.05</u>	<u>साखीबंदी पेट्टा</u> <u>वसुधा</u>	<u>विरासत</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

\* जहाँ लागू न हो बात दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लाभा मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अप्रत्यक्ष रूप से भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : यथापेक्ष शास्त्रीय सेवा ( आचरण) नियम, 1989 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार माहौल की अनुधि के परचाय या चौक्या-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उनमें वह उनके स्वाक्षिप्त की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्वीर दें।

हस्ताक्षर अशोक अग्रवाल  
 नाम : अशोक अग्रवाल  
 पद : अतिरिक्त अधिकारी  
 विभाग : उप निबंधी शास्त्रीय सेवा  
कुख्यालय क्वालिफर (संस्क)



फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01/19/2019 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो के.लाश.चन्द झाय 2. वर्तमान धारित पद सहा.ग्रेड-डी

3. वर्तमान वेतन 49,500/- आरपी वेतनबुद्धि की तारीख 01-07-2020

उस जिले, उप संपाद, जलुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य धवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बताया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन चट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: पञ्जाब के शासकीय सेवक (अन्वय) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्वय प्रथम लेनी, द्वितीय लेनी तथा तृतीय लेनी सेवा के अल्पकालीन से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जाबी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर: ... 27/2020  
 नाम: के.लाश.चन्द झाय  
 पद: सहा.ग्रेड-डी  
 विभाग: जालंधर तथा लखनवाला

फार्म 01-01-2019 से 31-12-2019 की स्थिति में  
 \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक

2. वर्तमान धारित पर सहायक जेड दो

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री शंती लालवती वर्मा  
 3. वर्तमान वेतन 16700 + 5604 अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01-01-2020  
 D.A.

उस जिले, उप संचाल, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वीर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावें कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

\* जहां नाम न हो कूट रोजिब।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : नए/पुराने शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा श्रृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में चहुँपती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर...  
 नाम : श्री शंती लालवती वर्मा  
 पद : सहायक जेड दो  
 विभाग : शा. शैलीय. मुद्रा. जवाहरियर



फार्म  
 प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01-01-2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो गणेश चन्द्र व्याख्यान  
 2. वर्तमान धारित पद एस.एस.पी.-डी

3. वर्तमान वेतन Rs. 48150/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खूबि		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खूबि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

\* जहां लागू न हो, काट टोकिये।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य उल्टाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : न्यूनतम वेतन शासकीय सेवा (अ.कारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम लेनी, द्वितीय लेनी तथा तृतीय लेनी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पढ़ाई की अधि के परचाया यह बीमा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बर्तों हैं।

हस्ताक्षर... [Signature]  
 नाम : गणेश चन्द्र व्याख्यान  
 पद : एस.एस.पी.-डी  
 विभाग : डी.पी.ओ. गुजरात

**फार्म**

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2019 से 31-12-2019 की स्थिति में\***

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो उमेश कुमार 2. वर्तमान धारित पर एडिशनल जे.टी.डी

3. वर्तमान वेतन 46,700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावें कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विभागत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
				D R R		

\* जहां लागू न हो बात दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम वेतन, दिनांक सेना श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अवैध है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परकार, यह घोषणा-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विभागत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के खीरे हैं।

हस्ताक्षर... Ubaxena  
 15-1-2020  
 नाम : उमेश कुमार  
 पर : एडिशनल जे.टी.डी  
 विभाग : एडिशनल जे.टी.डी  
उमेश कुमार - जे.टी.डी




**फार्म**  
**"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01-01-2019 की स्थिति में 31-12-2019"**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : **सरोज पंचोली** **सहायक जेड-डी**
2. वर्तमान धारित पद : **सहायक जेड-डी**
3. वर्तमान वेतन : **46100/-** अगली वेतनबृद्धि की तारीख **01-07-2020**

उस जिले, उप संभाग, जिल्ला तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरूप		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>उत्तरांचल</b>	<b>गुंड</b>	-	<b>15,00,000</b>	<b>स्वयं</b>	<b>ऑरिजेंटल बैंक के द्वारा</b>	<b>रु. 0</b>	-

जहाँ सारा न हो उक्त दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 ... इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मजदूरी/शासकीय सेवक (अचल) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त भूमि, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और इसके बाद प्रत्येक बार प्रवृत्ति की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्थानिक की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्वीर दें।

हस्ताक्षर :  31-12-2019  
 नाम : **सरोज पंचोली**  
 पद : **सहायक जेड-डी**  
 विभाग : **शा.क. के.जी. मुंडावाड़ा उत्तरांचल**

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1 जनवरी 2019 की स्थिति में 31 दिसम्बर 2019 तक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **व्हाजेश कुमार शर्मा** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक ग्रेड तीन**
3. वर्तमान वेतन **41,000/-** अगली वेतनबृद्धि की तारीख **01-07-2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावें कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा पत्नी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	आपुनिका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निरंक			

हस्ताक्षर **व्हाजेश कुमार शर्मा** 15-01-2020  
 नाम : **व्हाजेश कुमार शर्मा**  
 पद : **सहायक ग्रेड तीन**  
 विभाग : **शासकीय छात्राध्यय मण्डलालय**  
**291 छिथर अंज**

\* जहाँ लागू न हो वोट टैरिफ।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधारों में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अ.कारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में यहाँ की नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदोन्नति की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर का प्रस्तुत करें और इसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवधि उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बर्तों दें।



**फार्म**

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 31-12-2019 को स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: **जय शंकर छेत्र** 2. वर्तमान धारित पद: **खलास के हेड टीचर**

3. वर्तमान वेतन: **A 5,300/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख: **01-7-2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा जमी		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाए कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** छोट्ट, पट्टा, बंधक, विरासत, धेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा प्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

\* जहाँ लागू न हो डाटा दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इन्हें कन्सिडरेशन पट्टे भी सम्मिलित है।  
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवाएं (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थानुसार प्रथम जे.पी. के अर्थानुसार जे.पी. के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में शामिल नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के प्रचार यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उतमें वह उनके स्थानिक की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवलोक सम्पत्ति के जमी है।

इस्तावर: **1/10/19**  
 नाम: **जय शंकर छेत्र**  
 पद: **खलास के हेड टीचर**  
 विभाग: **उप निरीक्षण शासकीय शिक्षण प्रशासन**  
**रवाबिका**

फार्म 01 जानवरी 2019 से 31-12-2019

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ..... **आरती कुंठ** 2. वर्तमान धारित पद ..... **शहदायक जेड-तीन**
3. वर्तमान वेतन ..... **41,000/-** 4. अगली वेतनबृद्धि की तारीख ..... **01-07-2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खति		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						(8)
				<b>शिरा</b>		

- \* जहाँ नाम न हो काट दीजिए।
  - \*\* ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में स्थापन मूल्य बतलाया जाए।
  - \*\*\* इसमें अल्प-व्यय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी: अन्तर्गत शासकीय पट्टे (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) का अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार बढती की अवधि के परमाणु पर बीतना-पार या सा प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानिय की तथा उसके द्वारा आर्जेण्ड अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खति दें।

इस्तेआर ..... **01/01/2020**  
 नाम : **आरती कुंठ**  
 पद : **शहदायक जेड-तीन**  
 विभाग : **आयतायक केजीग मुद्रपालिका**  
**अधीक्षक**



फार्म

31.12.2019

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01.01.2019 से की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **पुष्प कुमार डुबे** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक वार्डन**

3. वर्तमान वेतन **38,600/-** अगली वेतनबृद्धि की तारीख **01.07.2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खंदि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खंदि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निःशुल्क			

\* जहाँ लागू न हो काल टिकिया।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के चर्चा में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 दिव्यांगी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (अ.व.प.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवृत्ति की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र पर का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानिक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बर्तों दें।

हस्ताक्षर **Jambhaz** 19/01-2020  
 नाम: **पुष्प कुमार डुबे**  
 पद: **सहायक वार्डन**  
 निम्ना: **श. केशीम मुडोलाम, गवा.**

फार्म

31.12.2019 तक

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01-01-2019 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: श्रीमती रजिया सिद्दिकी 2. वर्तमान धारित पद: सहायक वकील-तीन

3. वर्तमान वेतन 38,600/- अगली वेतनबुद्धि की तारीख 01-07-2020

उस किले, उप संभाग, जिल्ला तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताएँ कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकौप कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निर्धर			

\* जोही लागू न हो स्ट्ट टॉकिंग

\*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य यतनाया जाए।

\*\*\* इससे अलग-अलग पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: नयापट्टेन खसकीय सेवक (अ.ब.ल.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में जबकी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नईनी की अवधि के पूरावाए यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने जान पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीरे हैं।

हस्ताक्षर: R. S. Siddiqui 31.12.2019

नाम: श्रीमती रजिया सिद्दिकी

पद: सहायक वकील-तीन

विभाग: डा. क्षेत्रीय मुद्रणालय, म्वा.





फार्म प्रजन-2019 से 31 अक्टूबर-2019 तक की स्थिति में

प्रथम नियुक्ति के समय अखिल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक

पर 31 अक्टूबर 2019

3. वर्तमान सेवन - 30400 = अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2020

2. वर्तमान धारित पद सहायक-तीन

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ज्यूरि		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाए कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ज्यूरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य धवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Nil

- \* जहां लागू न हो कूट टैकिंग
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाना आए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अध्यापक) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा दृष्टिहीन श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक भाड़े महीने की अवधि के परचार यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त बतलाने सम्पत्ति के बर्णों दें।

हस्ताक्षर... 1/10/2020  
 नाम : मातीन खुरशी  
 पद : सहायक-तीन  
 विभाग : शासन ईशानपुर जिले



फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01/12/2019 को की स्थिति में 01/12/2019 को 31/12/2019 तक

2. वर्तमान धारित पद **संलग्न-तीन**

**पंकज ठारिवके**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

3. वर्तमान वेतन **29400 + डी.आ. अगली वेतनबुद्धि की तारीख 01/07/2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				NIL		(8)

- \* यहाँ लागू न हो करट टैरिफ।
- \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के तदनु में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अन्यकारीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- डिप्लोमा: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आ.ब.र.न) विधम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ माहों की अवधि के परीक्षा पर शीर्षस्थ-पत्र पर का प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्तित्व के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीर हैं।

इसकाकर.....  
 नाम: **पंकज ठारिवके**  
 पद: **संलग्न-तीन**  
 विभाग: **राजस्व**

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01-01-2019 की स्थिति में 31-12-2019 तक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो आरती खन्सेन 2. वर्तमान धारित पद सहायकी-टीए

3. वर्तमान वेतन 29,400/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01-01-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		परि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति	
	गुड़ तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निरक			

इसकांक... 01-01-2020  
 नाम : आरती खन्सेन  
 पद : सहायकी-टीए  
 विभाग : शा.स.स. म. - अवा.वि.पर

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए।
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- दिय्यायी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवाएं (अ.स.स.स.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार यहीने की अवधि के परभाव पर प्रयोग-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उतमें वह उनके स्थानिय की तथा उसके द्वारा अर्जित अवकाश से मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीर दें।





01-01-2019 से 31-12-2019 तक

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में फार्म

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : **पवन कुमार कुशवाहा** 2. वर्तमान धारित पर : **रिजर्व ग्रेड-तीन**  
 3. वर्तमान वेतन : **29400/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख : **01-07-2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** छोट्टी, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

निःशुल्क

इसका... **व.प.न. कुशल** 15/01/2020

नाम : **पवन कुमार कुशवाहा**  
 पर : **रिजर्व ग्रेड-तीन**  
 विभाग : **211-51-45 अकादमिक**

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के अन्तर्गत में समाप्त मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इन्होंने अर्थव्यवस्था में बदलाव आने से पहले ही सम्पत्ति है।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अवकाश) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्वये प्रथम सेना, द्वितीय सेना तथा तृतीय सेना के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार स्थिति की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वनिष्ठ की तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पड़े या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के खीरे हैं।



फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01-01-19 से 31-12-2019 को स्थिति में

सहायक ग्रेड-तीन

1. अधिकाधिक कर्मचारी का (पुदा) नाम तथा ठस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेश गामकवाड़
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन 30300 = 50 ... अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01-07-2020

उस जिले, उच्च संभाग, जिले का तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धारि		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** छरीट, पट्टा, बंधक, किरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				गिरक		

हस्ताक्षर: Gaikwad 30/1/2020  
 नाम: राजेश गामकवाड़  
 पद: सहायक ग्रेड-तीन  
 विभाग: शा.सं. मु. उकासिअर-मं.पु.रं

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के अन्तर्गत में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (अन्वयन) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्वय में प्रथम श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार इन्होंने की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे किरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिभार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे का बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।





**फार्म**  
**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2019 तक**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **राजवारी सिद्धि अखारिया** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक गार्ड तीन**
3. वर्तमान सैलन **27800/-** अगली वेतनबृद्धि की तारीख **01/07/2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्त्री		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुंजिका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
				<b>NIL</b>		

रजवार सिद्धि 15/01/2020  
 नाम : राजवारी सिद्धि अखारिया  
 पद : सहायक गार्ड तीन  
 विभाग : शासकीय अचल सम्पत्ति

- \* कहां लागू न हो साट दोबारा
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाना आए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- दियवणी : पण्डरीत शासकीय सेवाएं (अखारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अर्पण के परभाव यह जोबना-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बर्ण दें।

**फार्म**

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति में 31-12-2019 तक

2. वर्तमान धारित पद सदस्यक मोड-3

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्राची लोडे

3. वर्तमान वेतन Rs 27800-50 - अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01-01-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खी		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया •••खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)

इलाका... Bache 14/01/2020  
नाम : प्राची लोडे

पद : सदस्यक मोड-3  
विभाग : डायरेक्टर, शासकीय सेवा  
मुद्रा लया उवालि माल (म.प्र.)

• जहां लोग न हो काट दीजिए।  
•• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदरप में साफप सूच्य बतलाया जाए।  
••• इसमें अल्पकालीन बढ़ते भी सम्मिलित हैं।  
••• राष्ट्रीय अल्पकालीन सेवाक (अचरपण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में गणनी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक काठ महीने की अवधि के पत्रवाले यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्थानिय की तथा उसके द्वारा अर्जित अवका उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित संभव अवका सम्पत्ति के खी हैं।



फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1.1.19 से 31.12.19 तक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्रीमती उरला सम्सेना
2. वर्तमान धारित पद सहायक वर्ग-लीन
3. वर्तमान वेतन 25400-50 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2020

उस जिले, उप संभल, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्त्री		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उत्ते किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				गिरंक			

\* जहाँ खाल न हो खट डीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मजदूरीय शासकीय सेवाएं (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(2) के अधीन प्राप्त जमीन तथा जमीन सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पब्लिक नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार जमीने की अवधि के परभाव पर कोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उत्तम में यह उनके स्वाक्षित की तथा उसके द्वारा अधीन आया तब विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्त्री हैं।

इसका... 10/10/20  
 नाम : श्रीमती उरला सम्सेना  
 पद : सहायक वर्ग-लीन  
 विभाग : शा. श्रीम. मु. डालाकम म्वा.

फार्म - 01/2019 से 31.12.2019 तक  
 \*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकार/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती शिवा शिवा  
 2. वर्तमान धारित पद सहायक-लीड  
 3. वर्तमान वेतन ₹ 24,700.24 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख - 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा प्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				nil			

हस्ताक्षर: [Signature] 11/01-2026  
 नाम: श्रीमती शिवा शिवा  
 पद: सहायक-लीड  
 विभाग: शास. ई.ए. कुठारवाडी

\* जहाँ लागू न हो कूट डीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: नक्सलानेक शासकीय सेवा (आवास) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में चली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक ब्यापक महीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।



फार्म 01-01-2019 से 31-12-2019 की स्थिति में  
 प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, दिनांक

2. वर्तमान धारित पर अक्षाधिक जेड मीन

रवि चौहान

3. वर्तमान वेतन 19500 + D.A अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा खेती		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

\* जहां लगे न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अवकाशीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के अंतर्गत सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने को अर्द्धिक के परचाए, पाइ बोनस, पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षिप्त की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर :  
 नाम : रवि चौहान  
 पद : सहायक जेड मीन  
 विभाग : शा. डैलिया मुद्रा. जवाबिपर  
 11-01-2020

15/10/2019 अक्टूबर 2019

फार्म  
 प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 2. वर्तमान धारित पद  
 3. वर्तमान वेतन  
 4. वर्तमान वेतन

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरि		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंकित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अंकित की गई हो उसका नाम तथा स्वरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

इस्ताफा: ...  
 नाम: ...  
 पद: ...  
 दिनांक: ...

\* जहाँ लागू न हो डाटा दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में तदनुसार मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अचल-चलन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: नगरपालिका शासकीय क्षेत्र (अन्तर्गत) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्वये प्रथम, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अवधि के परभाव पर बीएन-पत्र पर सा प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके हुए अवधि आदि का उल्लेख करें और उसमें वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्वरि दें।



फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01-01-2019 की स्थिति में 21-12-2019 तक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुत्र) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **धनंजय उपाध्याय** 2. वर्तमान धारित पर **भ्रष्टा. वर्ग- तीन**

3. वर्तमान वेतन **19,500/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **परिशीकाधीन**

उस जिले, उप संचाल, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						(8)
				<b>निरंक</b>		

- \* जहां लागू न हो ऊपर दीजिए।
  - \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
  - \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (आचारण) विधाय, 1959 के नियम 18(3) के अर्धीन प्राप्त भूमि, कृंतिय भूमि तथा कृंतिय भूमि सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परवाह यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेती हैं।

हस्ताक्षर.....  
 15-1-2020  
 नाम : **धनंजय उपाध्याय**  
 पर : **भ्रष्टा. वर्ग- तीन**  
 विभाग : **शास. क्षेत्रीय मुख्यालय, ज्वा.**

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01/01/2019 की स्थिति में 31/12/2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अमित कुमार आर्या 2. वर्तमान धारित पद ओवरसियर

3. वर्तमान वेतन 71100/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय फार्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया ** छरीद, पट्टा, बंधक, विपणन, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

\* जहाँ लागू न हो हाट टोकिया।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में साधुता मूल्य बतलाना आए।  
 \*\*\* फार्म अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।  
 टिप्पणी : न्यूनतम शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक साइकल में अधि के परमाणु यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वयंसेवक की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विपणन में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर [Signature]  
 नाम : अमित कुमार आर्या  
 पद : ओवरसियर  
 विभाग : अतिरिक्त ओवरसियर



फार्म  
31/12-2019

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 31/12/2019 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है: अशोक कुमार शर्मा  
2. वर्तमान धारित पद: SAH/43 उद्घोषक

3. वर्तमान वेतन: 47300/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख: 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरी		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताएँ कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिकृतिका	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

हस्ताक्षर: Almoran 25/12/2019  
 नाम: अशोक कुमार शर्मा  
 पद: SAH/43 उद्घोषक  
 विभाग: श्री. डा. कुशाग्र उद्घोषक

\* यहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* देते मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में ह्रासण मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: राष्ट्रपति शासकीय पट्टे (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में यहाँ नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अवधि के परचाय पर घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभाविक की सेवा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरी दें।

**फार्म**  
**"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1 जनवरी 2019 को की स्थिति में"**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **रामनिमा पाठक**
2. वर्तमान धारित पद **सीनियर एग्जि**
3. वर्तमान वेतन **49500/-** अगली वेतनबृद्धि को तारीख **1 जुलाई 2020**

उस जिले, उप संभाग, जिले का तथा प्राय का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्त्री		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

प्रस्तावक: **Kpauan**  
 नाम: **रामनिमा पाठक**  
 पद: **सीनियर एग्जि**  
 विभाग: **आयुक्तकर्मचारी 830111 2910**

\* जहाँ जगह न हो खाली छोड़ें।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के तर्जुमा में लगभग मूल्य बताकर दें।  
 \*\*\* इसमें अन्यदाताएँ पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: अध्यादेश शासकीय सेवा (अ.दा.स.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में यथोचित निर्यात के समय और उसके बाद प्रत्येक साठ महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्त्री हैं।




फार्म 1-1-2019 से 31/12/2019 तक  
 "प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में"

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुं) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री. रमेश आर्या 2. वर्तमान धारित पद सी.सी.डी. सी.डी.  
 3. वर्तमान वेतन 46700/- अगली वेतनबन्धि की तारीख 01-07-2020

उस खिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरी		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिकृत किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, श्रेष्ठ या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिकतम की गई हो उसका नाम तथा खीरी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				NIL		

\* जहां लागू न हो डाटा दिये।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अन्यथा उल्लेख पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवाक (अ.स.स.स.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्वये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में जबकी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीनी की अवधि के परचाय पर घोषणा-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वास्थिक की तथ्य उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को बतलाए और उससे अपने नाम पर या उसके लीखार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के खीरी दें।

हस्ताक्षर   
 नाम : श्री. रमेश आर्या  
 पद : सी.सी.डी.  
 विभाग : सी.सी.डी. अ. अ. अ. अ.

2019-20 सितम्बर  
2019 की स्थिति में

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01 अक्टूबर 2019 की स्थिति में

2. वर्तमान धारित पद **जूनियर-सिडर**

अगली कैटेगॉरी की तारीख **01-7-2020**

3. वर्तमान वेतन **41000**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह शामिल है

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वीर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ••• खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से उपा अर्जन को तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वीर	सम्पत्ति से आर्थिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

हस्ताक्षर **K. Samudra** 14.01.2020  
 नाम : **प्रदीप कुमार जोनवाल**  
 पद : **जूनियर-सिडर**  
 विभाग **डी.पी.सी.डी. जे.डी. जे.डी.**

• जहाँ लागू न हो काट दोषिए।  
 • ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संबंध न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाना जाए।  
 • इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।  
 • नियमित शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अर्जित आरक्षण उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बर्णन दें।



**फार्म**  
**"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 31 डिसेंबर 2020 तक की स्थिति में"**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : **नेमी चंडा**
2. वर्तमान धारित पद : **जु-डीडी**
3. वर्तमान वेतन : **44,800** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01-7-2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपतिका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

हस्ताक्षर : **नेमी चंडा**  
 नाम : **नेमी चंडा**  
 पद : **जु-डीडी**  
 विभाग : **डीएसडी/डीएसडी/डीएसडी**

\* जहाँ लागू न हो कस्ट टैगिंग।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के अर्थों में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेक्टर (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम लेखी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सही-सही की अधि के परमाणु पर घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अधिकृत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीरे दें।

फार्म 01-जनवरी 2019 से 31-12-2019

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

2. वर्तमान धारित पर जूनियर सीडर

मीथा देव

1. अधिकाधिक कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 2. वर्तमान धारित पर

3. वर्तमान वेतन 41000/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, जलुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरी		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावे कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंकित किया गया ** छरीट, पट्टा, बंधक, बिरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अंकित की गई हो उसका नाम तथा खीरी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निरंक			

\* जहाँ लागू न हो डाट दीजिए।

\*\* ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के अर्थ में लगाया मूल्य बतलाना जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (अ.स.स.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अवधि के परवाप यह घोषणा-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्थानिक की तथा उनके द्वारा अधिकृत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या बंधक पर इसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीरे दें।

इस्तफा... W.D. 14.10.2019

नाम : मीथा देव

पद : जूनियर सीडर

विभाग : शासकीय द्वितीय मुद्रणालय  
अलाहाबाद (म.प्र.)



फार्म 1/जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक की स्थिति में

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सुरेश सिंह राठौर

काँपी होल्डर

3. वर्तमान वेतन 35100/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01-7-2020

2. वर्तमान धारित पद


उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खंभो		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खंभो	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गुठ तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				MIL			

\* जहां खाल न हो बाट दीजिये।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अन्यथा जिन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाएं (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अंशुधि के परकार वह भीलवा-एन भा. का प्रभुता को और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा आधिकारिक रूप से विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खंभो हैं।

हस्ताक्षर:  14.01.2020  
 नाम: सुरेश सिंह राठौर  
 पद: काँपी होल्डर  
 विभाग: वासुकीय क्षेत्रीय युद्धकर्मण्य  
 ज्वरकर, ज्वातिपय

फार्म  
 प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 31 दिसम्बर 2019 में की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : **श्री लक्ष्मणरायण कुशवाह**  
 2. वर्तमान धारित पद : **कॉपी होल्डर**  
 3. वर्तमान वेतन : **34100** ... आयसी वेतनबन्धि को संदर्भ : **01-7-2020**

उस जिले, उप संभाग, जिले का तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

इसका क्र. : **88a**  
 दिनांक : **11/01-2020**  
 नाम : **श्री लक्ष्मणरायण कुशवाह**  
 पद : **कॉपी होल्डर**  
 विभाग : **श्री शास. शैक्षणिक सुवैद्यलय अंका**

\* जहां राग न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : यथावदेन शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में चयनी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अपेक्षा के परमाणु यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अर्जित आय का उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खेती हैं।



फार्म  
31 दिसम्बर 2019

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 31 दिसम्बर 2019 की स्थिति में

मॉर्गन होल्डर्स

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : **मॉर्गन होल्डर्स**

2. वर्तमान वेतन **30,000/-** अगली वेतनबृद्धि की तारीख **01-01-2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राव का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विपणन, पेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गुड तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

NIL

इस्ताफा : **LYADSK**  
14-01-2020  
नाम : **मॉर्गन होल्डर्स**  
पद : **मॉर्गन होल्डर्स**  
विभाग : **211. 2114 2301114 201**

\* जहां सारा न हो काट दीजिए।  
\*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
\*\*\* इन्हें अल्पकालीन पट्टे भी स्वीकारित है।  
टिप्पणियाँ : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरेण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी निर्मुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक साठ महीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाभाविकी तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीर दें।

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 31/12/2019 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आरुण शर्मा 2. वर्तमान धारित एवं कॉपी होल्डर

3. वर्तमान पेंशन 31,290/- अगली पेनशन/दिनांक को जारी रखें 01/07/2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्त्री		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** छूटी, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)

इलाका अजमेर  
 नाम : आरुण शर्मा  
 पद : कॉपी होल्डर  
 विभाग : शा. व. म. म. अकाउंट्स

\* जहाँ खाल न हो ऊपर टीकरें।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के तहत में साधारण मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (अन्वयण) विधायक, 1959 के नियम 10(3) के अंतर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार शर्तों को अर्थात् के परकाए पर धारण करे और उसमें वह उनके स्वाभाविक को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्त्री हैं।





फार्म 01-01-2019 से 31-12-19 की स्थिति में

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

2. वर्तमान धारित पद का नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्रिजंका ७३३३ काँपी होडर

3. वर्तमान वेतन 19,500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख प्रिजंका ७३३३

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ज्यूरि		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ज्यूरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

निर्वाह

जहां खाना न हो रुत दीजिए।

- देसे नामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाना जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- इसमें अल्पकालीन सेवक (अचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम जेपी सेवा के अंतर्गत संदर्भ से यह अर्जित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परवार यह बीपणा-पत्र पर का प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ज्यूरि दें।

इसका... 01-01-10-11

नाम : प्रियंका शर्मा

पद : काँपी होडर

विभाग : शाम. का. मुद्र. क्वलियर



दिनांक: 01-01-2019 से 31-12-2019 तक की स्थिति

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक A की स्थिति में

2. वर्तमान धारित पर कॉपी होल्डर  
 3. वर्तमान सेवान 19500 ± D.A. अगली सेलनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2020 परिधीयधीन

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शाहुल चौधरी

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतसाये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

\* जहाँ लागू न हो सट्ट टिकिए।

- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।
- इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) विभाग, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम डेनी, द्वितीय डेनी तथा तृतीय डेनी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में चकती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक सात महीने की अवधि के परबात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्तिक के नाम पर परदे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर: P. Chachary 5.0  
 नाम: शाहुल चौधरी  
 पर: कॉपी होल्डर  
 विभाग: शा. श्रे. मु. अ. वालियर

फार्म 01 अगस्त 2019 से 31 दिसम्बर 2019

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो राजेश सिंह / सिविल इंजीनियर
2. वर्तमान धारित पद असिस्टेंट
3. वर्तमान वेतन 42000/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से या अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	पूड़ तथा अन्य धवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
				NIL		

इलाका Ran...  
 नाम : राजेश सिंह  
 पद : असिस्टेंट  
 विभाग : 2D-व. अ. 2019

\* यहां खाली न हो कट रोकिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाना आए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अभिलेख) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम लेवेल, द्वितीय लेवेल तथा तृतीय लेवेल के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहीने की अवधि के पश्चात् वह प्रोबेशन-पत्र पर का प्रयुक्त करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा आर्जन अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।



फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2019 की स्थिति में 31-12-2019

2. वर्तमान धारित पद सिंगल अफिस (ऑफिस)

वेन

3. वर्तमान वेतन 49500

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
				NIC		

- \* जहाँ लागू न हो डाटा दीजिए।
- \*\* ऐसे मामले में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के तदनुसार में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम लेणी तथा द्वितीय लेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अवधि के परचाए पर जो प्रत्येक पत्र पर का प्रत्येक कर और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल सम्पत्ति के खीरे दें।

इसकातर...  
 नाम : मनोज वेन  
 पद : सिंगल अफिस (ऑफिस)  
 विभाग : डा. अ. अ. अ. अ. अ.

**फार्म**

\*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, दिनांक 31-12-2019 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री. अशोक कुमार शर्मा 2. वर्तमान धारित पद असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर
3. वर्तमान वेतन ₹. 4,61,100/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा खेती		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया •• खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खेती	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिकृतिका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)

शर्मा

इलाका : .....  
 नाम : श्री. अशोक कुमार शर्मा  
 पद : असिस्टेंट डि. डायरेक्टर  
 विभाग : श्री. अ. डायरेक्टर

\* जहाँ लागू न हो सार्व सही।  
 •• ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 ••• इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 दिव्यांगी : नपुंसकत्व रक्षण अधिनियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार माहीने की अवधि के परकाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधिन की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा संपत्ति के ब्यौरे हैं।



दिनांक 01-01-2019 से 31-12-2019 तक की स्थिति

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेन्द्र कुमार हजवा
2. वर्तमान धारित पद डी०डी०पी०ऑपरेटर
3. वर्तमान वेतन 51700 + D.A अगली वेतनबुद्धि की तारीख 01 जुलाई 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				NIL		(8)

\* जहाँ तथा न हो साट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अन्यकारीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मजदूरी/सेवा के सम्बन्ध में (आ.ब.स.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम वेतनी, द्वितीय वेतनी तथा तृतीय वेतनी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में प्रवेश करने के समय और उसके बाद प्रत्येक साठ महीने की अवधि के परीक्षा पर योग्य-पत्र प्राप्त कर प्रत्येक वर्ष और उसमें वह उनके स्वाभाविक को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर... 15.01.2020

नाम : राजेन्द्र कुमार हजवा

पद : डी०डी०पी० ऑपरेटर

विभाग : शिक्षा संयुक्त ग्वालियर

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुरेश ख आरोट, आ. भो. भु. व्हा. 2. वर्तमान धारित पद मोनो कासर  
 3. वर्तमान वेतन 4600 + D. A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/7/2020

उस जिले, उप संभाग, जालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरी		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरी	सम्पत्ति से वार्षिक आम	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				nil			

हस्ताक्षर: *[Signature]* 5.01-2020  
 नाम: सुरेश ख आरोट  
 पद: मोनो कासर  
 विभाग: शा. क्ष. अग्रोनाम्य, ज्वालियर

\* जहाँ लागू न हो डाटा दौरेप।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इन्होंने गलतफहमीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: गणपतेश शासकीय सेक्टर (अन्वयण) निधम, 1959 के नियम 18(3) के प्राचीन प्रथम अर्थी, द्वितीय श्रेणी तथा दृष्टिप रंगी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पञ्जी निर्धारित के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अरुधि के प्रकार यह घोषणा-पत्र भा. का प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरी दें।



**फार्म**

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

2. वर्तमान धारित पद **मैनिंग क्लर्क**

के नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **के. एम. ए. २०१७**

3. वर्तमान वेतन **41,500/-** अगली वेतनबृद्धि की तारीख **1-7-2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरूप		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावे कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया •• खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा पत्नी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

इलाका **... के. एम. ए. २०१७**  
 नाम **... के. एम. ए. २०१७**  
 पद **... मैनिंग क्लर्क**  
 विभाग **... के. एम. ए. २०१७**

जहां लागू न हो तब सूचित।  
 •• ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागूपाय मूल्य बतलाना नए।  
 •• इसमें अप्रकारणित पट्टे की सम्मिलित है।  
 •• इसमें अप्रकारणित पट्टे की सम्मिलित है।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहोने की अधि के परचाय पर घोषणा-पत्र भर का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अधिगत आयदा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का संबंध पर उसके द्वारा धारित समस्त अपचल सम्पत्ति के स्वरूप में बतलावे।

15-01-2020  
 15-01-2020  
 15-01-2020

1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

व्यक्ति का नाम

श्री. राजेश कुमार

व्यक्ति का पता

3. वर्तमान वेतन 41000/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2020

2. वर्तमान धारित पद

श्री. राजेश कुमार

उप वि. सं. अथवा अन्य नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा आदि		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम स्वैरी राम मल तहसील - डुबका जिला - जालंधर	-	चूड़िया भूमि (4 बीघा)		व्यक्ति	विरासत	-	-

कहाँ लागू न हो करट टैक्स।

ऐसे मामले में कोई मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

इसमें अल्पकालीन परदे भी शामिल हैं।

यथावश्यक आवश्यक सेवाएं (अवसर) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रदान होंगी, स्थानीय श्रेणी तथा स्थानीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह शीर्षक-पत्र या कर प्रस्तुत करे और उसमें यह उनके स्थानिक को तथा उसके द्वारा आवेदन करने विषयों में किसी भी प्रकार के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे का बंधन पर उसके द्वारा प्रेषित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के बारे में।

इस्तासफ

श्री. राजेश कुमार

नाम : श्री. राजेश कुमार

पद : श्री. राजेश कुमार

दिनांक 31/12/2019

15-01-2020

श्री. राजेश कुमार

श्री. राजेश कुमार

श्री. राजेश कुमार

श्री. राजेश कुमार





**फार्म**

**प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 11/19/2019 को स्थिति में**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिलमें यह हो 05129नीमए 2101A
2. वर्तमान धारित पद अ. 2-413 डर
3. वर्तमान वेतन 52500/- आर.सी. वेतनबन्धि की श्रेणी 01-7-20-20

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरि		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की शारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

इस्ताफा Prang  
 15/11/20  
 नाम : 05129नीमए 2101A  
 पद : अ. 2-413 डर  
 विभाग : शाही जेस. लि. डि. गोरख  
इवालिम (214)

\* यहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में यहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संबंध न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में तालुका मूल्य सादरता जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 दिव्यांगी : न्यूनतम शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्वये प्रथम लेवी, द्वितीय लेवी तथा तृतीय लेवी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्थानित की तथा उसके द्वारा अर्जित आयवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अचल सम्पत्ति के स्वरि हैं।



फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक

की स्थिति में

11/11/19 से 31/12/19 वर्तमान धारित पर ANM

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

3. वर्तमान वेतन 39800/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरूप		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
				NIL		

\* जहां लागू न हो स्टाट टैकिंग।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के तदनुसार ही लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पव्यय पर कोई भी सम्मिलित है।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवाएं (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्वयण प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के तत्पश्चात् और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अवधि के प्रकाश यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बारे में।

इस्तावर...  
 नाम : श्रीमती लक्ष्मी शिन्दे  
 पद : A.N.M  
 विभाग : शांति कुल सि० डि० मोरली  
 ठेका (मा०५)

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-1979 की स्थिति में

दिनांक 1-1-1979

2. वर्तमान धारित पर

इंजीनियरिंग

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

3. वर्तमान वेतन 45300 + D.A. अगली वेतनबुद्धि की तारीख 01-01-2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरी		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)

इलाका ~~...~~ 15-1-2020  
 नाम : इंजीनियरिंग  
 पर : ...  
 विभाग ...

वहाँ लागू न हो बात दोगुना।  
 ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आधार में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 ... इसमें अन्तर्भावित पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 ... न्यूनतम शासकीय सेवक (अन्वयन) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्वयन प्रथम लेणी, द्वितीय लेणी तथा तृतीय लेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अर्पणित है कि वह सेवा में चल्ती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्थानित की तथा उसके द्वारा अर्जित आकषा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके जीवित के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य ब्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बर्ती हैं।





**फार्म**

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 31 दिसम्बर 2019 तक  
 2. वर्तमान धारित पर जुट कम्प्यूलीटर

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **हरीश सिलोन्**
2. वर्तमान धारित पर **जुट कम्प्यूलीटर**
3. वर्तमान वेतन **AGZ 20000** ... अगली श्रेणी की तारीख **01-7-2029** .....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरी		उत्पत्ति के नाम पर न हो तो बतलावने कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उत्पत्ति किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिपुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<b>निःशुल्क</b>			

जहाँ तक न हो इतद सीमित।  
 \*\* देसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के अन्तर्गत में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : गणराज्य शासकीय सेवक (अन्वय) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में चकती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक साठ महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरी दें।

हस्ताक्षर **हरीश सिलोन्**  
 नाम : **हरीश सिलोन्**  
 पद : **जुट कम्प्यूलीटर**  
 विभाग : **शां.क्षेत्र और उच्च शिक्षण मंत्र**



1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019

फार्म  
 "प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में"

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अजीत कुमार 2. वर्तमान धारित पद एग्जि. असिस्टेंट  
 3. वर्तमान वेतन A 6700-870 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2020

उत्त जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका सासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिकृत	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

हस्ताक्षर: [Signature]  
 नाम: अजीत कुमार  
 पद: एग्जि. असिस्टेंट  
 दिनांक: 21/10/2019

\* यहाँ खाली न हो बरत दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के अन्तर्गत में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणियाँ : मध्य प्रदेश शासकीय सेवाएँ (अन्वयण) विधन, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परमाणु पर क्रमशः 5% भ्रू का प्रयुक्त करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के बर्तन हैं।

दिनांक 01-01-2019 से 31-12-2019 तक की स्थिति

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक A की स्थिति में

2. वर्तमान धारित पद जूनियर कम्योजीटर

लिप्याकत खान

A

1. अधिकाधिक कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
3. वर्तमान वेतन 45300+DA आगली सेलबुकि की तारीख 01-जुलाई-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा जमीर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से उपा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा जमीरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

\* जहाँ जगह न हो खाल्ट दीजिए।

- \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के हदतः में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- दियवणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवाक (अ.ब.ब.ब.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवृत्ति की अर्पित के परभाव यह घोषणा-पत्र भर का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानिय की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्तित के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बर्ती दें।

हस्ताक्षर: लिप्याकत खान  
 नाम: लिप्याकत खान  
 पद: जूनियर कम्योजीटर  
 विभाग: शांति संस्थान





1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है ... 2. वर्तमान धारित पद (पूरा नाम) लिखें

3. वर्तमान वेतन AS 3072 - 6-P ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, जिल्ले का तथा प्राप्त का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खोरी		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताता है कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ... खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खोरी	सम्पत्ति से आर्थिक आय	अधियुक्ति	
	गृह तथा अन्य धवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

इलाका : ...  
 नाम : ...  
 पद : ...  
 विभाग : ...

\* यहाँ लागू न हो कर टिकें।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बताया जाए।  
 ... इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अन्वय में तथा राष्ट्रीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पक्षी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक आठ महीने की अवधि के परवान पर प्रोव्ज-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाभिमानी की तथा उनके द्वारा आर्जन अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के अर्जी दें।









फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक

की स्थिति में

विकास प्रशासनिक विभाग

2. वर्तमान धारित पद: जूनियर असिस्टेंट

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

3. वर्तमान वेतन: 45300/- आरटी वेतनबन्धि की शर्तों पर 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरूप		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइए कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

\* जहाँ लागू न हो डाटा दोजिए।  
 \*\* देते समय में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इन्हें अस्पष्टताओं पर देते ही सम्मिलित है।  
 टिप्पणी: न्यूनतम शासकीय सेवक (अ.स.स.) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अंतर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार शर्तों की अतिरिक्त के प्रकार यह योग्य-पत्र भा का कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके सम्पत्ति की तथा उसके द्वारा अधिकृत अचल वसे विवरण में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पड़े या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बर्तों दें।

हस्ताक्षर: विकास प्रशासनिक विभाग  
 नाम: विकास प्रशासनिक विभाग  
 पद: जूनियर असिस्टेंट  
 विभाग: आरटी वेतनबन्धि मुद्रांक  
 2020

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01 जनवरी की स्थिति में 31 दिसम्बर 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है: विजय कुमार माहौर

2. वर्तमान वेतन: 43500

3. वर्तमान वेतन: 1-7-2020

2. वर्तमान धारित पर: पुनीत क. मेहरोत्रा

उस जिले, उप संभाग, जालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरूप		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकौप कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)

- \* जहाँ लागू न हो काट दियिए।
- \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: उपरोक्त सार्वजनिक सेक्टर (अचल) निधि, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अधि के प्रकार पर घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करें और उसमें यह उनके स्थानिक की तथा उसके द्वारा अर्जित आय का उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके अधिकार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बतौर दें।

हस्ताक्षर: [Signature]  
 नाम: विजय कुमार माहौर  
 पर: पुनीत क. मेहरोत्रा  
 दिनांक: 21/11/2019



**फार्म**  
**प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01/07/2019 की स्थिति में**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अमरीसह राजौरिया** ..... 2. वर्तमान धारित पद **जू० कम्पोजीटर**
3. वर्तमान वेतन **41000/-** ..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01-7-2020** .....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिकृत
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

इसका **अमरीसह राजौरिया**  
 नाम **अमरीसह राजौरिया**  
 पद : **जू० कम्पोजीटर**  
 विभाग **खा० डी० मु० व्याक्ति**

\* उक्त नाम न हो काट दोजिय ।  
 \*\* ऐसे मामले में उर्दू मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सद्वर्ग में लगभग मूल्य बताया जाए ।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश सत्ताधीन सेक्टर ( अन्वयण ) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में चयनी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने को अर्द्धिके परमाणु एक बीपज-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिग्रहण अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अनुराग शंकर शर्मा 2. वर्तमान धारित पद जूनियर क्लर्क

3. वर्तमान वेतन 51,000/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्त्री		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंकित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्बन को तारोख और जिससे अंकित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य धवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
				NIL		

\* यहाँ लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पवर्गीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: यथासंभव शासकीय सेवक (आधारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के अंतर्गत सदस्य से यह अंकित है कि वह सेवा में पक्षी नियुक्ति के समय और उसके बाद अंतर्गत भाड़ सहीने को अर्धी के प्रकार यह श्रेणियाँ-एन आर का प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाधिन की तथा उनके द्वारा अधिकृत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अथवा सम्पत्ति के स्त्री हैं।

हस्ताक्षर: A. S. Sharma  
 नाम: अनुराग शंकर शर्मा  
 पद: जूनियर क्लर्क  
 विभाग: ऑफिस क्लर्क  
शा. सं. म. प्र. सेवा.



**फार्म**

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2019 की स्थिति में 31-12-2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. मुकुंदा माधव
2. वर्तमान धारित पद सीनियर मशीनिंग
3. वर्तमान वेतन 43500-00 अगली वेतनबुद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंकित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अंकित की गई हो उसका नाम तथा खीरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				N/C			

इसकाथर. मुकुंदा माधव  
 नाम: मुकुंदा माधव  
 पद: सीनियर मशीनिंग  
 विभाग: शा. शे. कु. उवालिमा

- \* यहाँ नाम व ही सट दर्जिए।
  - \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आन्दा में लागू मूल्य बतलाया जाए।
  - \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- नियंत्रण शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम लेनी, द्वितीय लेनी तथा तृतीय लेनी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के प्रथम या चौथे-पंच पर का प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्थानिय की तथा उनके द्वारा अंकित अथवा उसे विरासत में मिली या उनके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के खीरे हैं।

**फार्म**

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2019 की स्थिति में 31-12-2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्रेसिडेंट प्रिन्स कोर्ट
2. वर्तमान धारित पद सोनीनगर मशीन और
3. वर्तमान वेतन 41000 = 00 अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2020

वस जितने, उप संभार, कसुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरि		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						(8)

- \* जहां लागू न हो कस्ट टैक्जिएर।
- \*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : नयाप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) विभाग, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में चयनी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परकाए पर सोचना-एक बार का प्रस्तुत करें और उद्योग में उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अथवा सम्पत्ति के बर्ण दें।

हस्ताक्षर Nik  
 नाम : प्रेसिडेंट प्रिन्स कोर्ट  
 पद : सोनीनगर मशीन  
 विभाग : सोनीनगर मशीन  
000000



फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2019 की स्थिति में 31-12-2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो: **ग्रहमपु काश्यप** 2. वर्तमान धारित पद: **सीनियर मशीनमैन**

3. वर्तमान वेतन: **43500** अगली वेतनवृद्धि की तारीख: **1-7-2020**

उस वित्त, उप संपादन, छात्रुका तथा प्राप्त का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्त्री		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
				NIK		

यहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में तात्परा मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अस्पष्टताएँ पढ़ें या सम्मिलित हैं।  
 दिव्यगी: मध्यप्रदेश शासकीय बैंक (अकरण) विभाग, 1959 के नियम 18(3) के अन्वये प्राप्त है।  
 कि यह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार बढ़ाने की अवधि के पश्चात् यह बीपना-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाभाविक की तथा उनके द्वारा अर्जित आय का उसे विवरण में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पड़े या बैंक पर उसके द्वारा धारित समस्त जमात सम्पत्ति के अंतर्गत हैं।

इलाहाबाद: **ग्रहमपु काश्यप**  
 नाम: **ग्रहमपु काश्यप**  
 पद: **सीनियर मशीनमैन**  
 विभाग: **शा. श. सु. जवाबिअत**

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-20/9 की स्थिति में 31-12-20/9

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह रहे: श्रीमान अशोक शर्मा

2. वर्तमान वेतन 42200-00 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरी		उसे किस प्रकार अंकित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, पेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अंकित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है			
				NIC			

- \* जहाँ लागू न हो वहाँ टिकिए।
- \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के आन्तर में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

मन्सूरहा शासकीय सेक्टर (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अन्वये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में एकमात्र नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार बदलने की अवधि के परवाना यह घोषणा करे और उसमें वह उनके स्थानित की तथा उसके द्वारा अंकित अथवा उसे विपणन में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बहीरे हैं।

हस्ताक्षर: शुभम 21/12/19  
 नाम: श्रीमान अशोक शर्मा  
 पद: श्रीमान अशोक शर्मा  
 विभाग: श्री. सु. ज्वालामुख



फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2019 की स्थिति में 31-12-2019

2. वर्तमान धारित पद सीनियर मैग्निट मैनेजर

डॉक नॉ

3. वर्तमान वेतन 42200

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

\* जहाँ एका न हो फाट डीकिए।

- \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- दियवणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अभ्यर्थण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्वये प्रथम लेनी, द्वितीय लेनी तथा तृतीय लेनी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में चककी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके हुए अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीरे दें।

हस्ताक्षर: [Signature]  
 नाम : डॉक नॉ  
 पद : सीनियर मैग्निट मैनेजर  
 विभाग : डी.ओ. मु. उच्चालय

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अप्पल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01/01/2019 की स्थिति में 31/12/2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : अदनलाल अश्विनी
2. वर्तमान धारित एवं शीनिमट मशीन में
3. वर्तमान वेतन : 42200 ..... अगली वेतनबृद्धि की तारीख : 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वीरी		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वीरी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIC			

इस्ताफा : अदनलाल  
 नाम : अदनलाल अश्विनी  
 पद : शीनिमट मशीन में  
 विभाग : आ.सं.सं.सं. ज्वाल्मि

\* जहाँ लागू न हो फाट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के हद में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन घरे घी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : न्यूनतम शासकीय सेवक (अन्वय) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के इत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सही-सही की अवधि के परचाए चढ़ाये जायें-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अधिकृत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिचारक के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पड़े या संबंध पर उसके द्वारा धारित समस्त अप्पल सम्पत्ति के स्वीरी दें।



फार्म 01-01-2019 से 31-12-2019

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

2. वर्तमान धारित पर *प्राथमिक अधिकार*

3. वर्तमान वेतन *42200/-* अगली वेतनबृद्धि की तारीख *1-7-2020*

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो *पिटरा/कारा खिमान*

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरी		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<i>Nil</i>			

यहां लागू न हो कट टैरिफ।  
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 इसमें अनधिकारिता परदे भी सम्मिलित हैं।  
 दिव्यांगी : न्यूनप्रदेत शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अधि के परमाणु यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके हुए अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित संपत्त अथवा सम्पत्ति के ब्यौरी दें।

हस्ताक्षर *पिटरा/कारा खिमान*  
 नाम *पिटरा/कारा खिमान*  
 पद *प्राथमिक अधिकार*  
 विभाग *आ.प्र. : गुजरात राज्य*

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2019 की स्थिति में 31-12-19

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो संतोष खिन्ना 2. वर्तमान धारित पद सीनियर मशीन मैनि

3. वर्तमान वेतन 41000/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
				N/A		

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के तदनुसार में लागू मूल्य बताया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवाक (अ.ब.एन) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा शून्य श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में चम्की नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रमोशन की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भरा कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्थानिक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित संपत्ति का विवरण सम्पत्ति के खीरे हैं।

इसका... संतोष खिन्ना  
 नाम : संतोष खिन्ना  
 पद : सीनियर मशीन मैनि  
 विभाग : आ.अ.कु. उकाखिब



फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2019 की स्थिति में 31-12-2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राम रंजन साहू 2. वर्तमान धारित पद सीनियर

3. वर्तमान वेतन 41,000/- आगती वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खती		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावें कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
				NIC		

\* जहां खाल्य न हो साट डीजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में संपत्ति मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें आल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : नक्सलप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी सेवा के पूर्वक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक आठ माहों की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधिन की तथा उसके द्वारा अर्जित आय तथा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के खती दें।

हस्ताक्षर .....  
 नाम : राम रंजन साहू  
 पद : सीनियर अडिपोजीट  
 विभाग : शा. डी. सु. आरक्षण

फार्म 01-01-2019 से 31-12-2019

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरूप		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की शारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
				NIL		

हस्ताक्षर: [Signature]  
 नाम: [Signature]  
 पद: [Signature]  
 दिनांक: 29/12/2019

\* जहाँ लागू न हो डाटा दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के अन्तर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: नभउदेरा शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के विधम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बराबर महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अथवा सम्पत्ति के बर्णन दें।



फार्म 01-01-2019 to 31-12-2019.

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

वर्तमान धारित पर

अधिकारी/कर्मचारी का नाम, जिसमें वह हो

वर्तमान वेतन . 39,800/- अगली वेतनबन्धि की तारीख . 1-7-2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

2. वर्तमान धारित पर

3. वर्तमान वेतन . 39,800/- अगली वेतनबन्धि की तारीख . 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और किससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				NIL		

हस्ताक्षर  
नाम :  
पद :  
विभाग :

जहाँ खाल न हो खाल टिकिया।  
ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाना आए।  
\*\* इसमें आपकातमि पट्टे भी सम्मिलित है।  
\*\*\* इसमें आपकातमि पट्टे (आ.च.प.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीनी की अवधि के पर्याय पर जोषणा-पत्र भर का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीरे दें।

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2019 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो पुणेपोस्टम डिप्टे 2. वर्तमान धारित पद डीपीएम अशीन जैन

3. वर्तमान वेतन 39800 4. अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संचाल, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खंती		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बलवत्तयुक्त कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उत्प्रेक्ष्य प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन का तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खंती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nic			

\* यहाँ लागू न हो जाट दौलिया।  
 \*\* ऐसे मामलों में यहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के अन्तर्गत में लागू मूल्य बालूतया जाए।  
 \*\*\* इसमें अचल/चलती पट्टे की सम्पत्तियाँ हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवाएं (अभ्यर्थन) विभाग, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत ग्राम सेवा, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के अन्तर्गत सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में यहाँ नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के खंती हैं।

हस्ताक्षर पुणेपोस्टम डिप्टे  
 नाम : पुणेपोस्टम डिप्टे  
 पद : डीपीएम अशीन जैन  
 विभाग : शा.से.सु.उवाचिका



फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2019 की स्थिति में 31-12-2019

1. अधिकांश/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: सुरेश कुमार कुरीठा
2. वर्तमान धारित पद: सीनियर मशीनर
3. वर्तमान वेतन: 39800 ... आयसी वेतनबुद्धि को धारित 1-7-2020

उस जिले, उस संभाग, जिल्ला तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खति		उत्पत्ति के नाम पर न हो तो बतलावें कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उत्पत्ति किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन को गारंटी और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खति	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

NIL

हस्ताक्षर: सुरेश कुमार कुरीठा  
 नाम: सुरेश कुमार कुरीठा  
 पद: सीनियर मशीनर  
 विभाग: ड्रा. मे. डू. उवाकिया

\* जहां जग न हो काट दीजिये।  
 \*\* ऐसे मामले में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अन्तर्गत में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अस्वकारणीय परदे की सम्मिलित है।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आ.च.ए.ए.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत में प्रथम वेतनी तथा द्वितीय वेतनी के अन्तर्गत में यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रत्येक बार बढ़ती हुई वेतनी की अवधि के परमाणु यह सीपल-एन पर कर प्रयुक्त करें और उसमें वह उनके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अर्जित आयदा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिजनों के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के खरीद हैं।

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 10 मार्च 2019 को स्थिति में 31-12-2019

2. वर्तमान धारित पर: *श्री अमित मरीच 57*

*अजीत सिंह*

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: *अजीत सिंह*
3. वर्तमान वेतन: *A.3,500=00*. आगामी वेतनबृद्धि की तारीख: *1-07-2020*

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खति		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावे कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खतीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

\* वहाँ लागू न हो डाटा दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: न्यायदेय शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में चकती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार शहीने की अवधि के परकाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बर्णन दें।

हस्ताक्षर *श्री अमित मरीच*  
 नाम: *श्री अमित मरीच*  
 पद: *श्री अमित मरीच*  
 विभाग: *श्री अमित मरीच*



01-01-2019/31-12-2019

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो : शशिभद्र / अविभाजित
2. वर्तमान धारित पद : सिनिगर वंशानुभव
3. वर्तमान वेतन : 37300/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया •• खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति					
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)											
	Milk										

\* जहाँ लागू न हो कट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अन्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : न्यूनतम वेतन सेवक (अन्वय) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्वय प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में चकती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीर हैं।

इलाका : Ranikhet  
 नाम : शशिभद्र / अविभाजित  
 पद : सिनिगर वंशानुभव  
 विभाग : शशिभद्र वंशानुभव

**फार्म**


\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2019 की स्थिति में) - 12-2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो **अभिकाठा साकेत** 2. वर्तमान धारित पद **सीनियर मशीन मैन**

3. वर्तमान वेतन **34100/-** अगली वेतनबृद्धि की तारीख **1-7-2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
				Nic		

\* जहाँ लागू न हो डाटा दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ बांझिम स्थिति के सदृश में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वयण) विधम, 1959 के नियम 18(3) के अन्वीन प्रथम सेवी, द्वितीय सेवी तथा तृतीय सेवी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पक्षी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मरने को अर्थात् के परकार यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाधिन की तथा उनके द्वारा अर्जित आय का उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर:   
 नाम: **अभिकाठा साकेत**  
 पद: **सीनियर मशीन मैन**  
 विभागा: **शा. दो. भु. उवाकिया**



फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2019 की स्थिति में 31-12-2019

2. वर्तमान धारित यह निम्न प्रकार प्रकृत है

373002000

अगली सेलनबुकि की तारीख 1-7-2020

वस जिते, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरि		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइए कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंकित किया गया •••खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, श्रेय या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अंकित की गई हो उसका नाम तथा स्वरि	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

\* जहां लागू न हो वोट दौड़िए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन चरते भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवाएं (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्वयण प्रथम सेना, द्वितीय सेना तथा तृतीय सेना के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मरने की अवधि के परचाय, यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंकित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चरते या संभक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्वरि दें।

इसकाकर : 3730020000  
 नाम : राजेश खत्री  
 पद : प्रिन्सिपल ग्राहक ऑफिसर  
 विभाग : आर. ए. प्र. अखिलेश्वर

फार्म नम्बर-2019 31-12-2019

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 31-12-2019 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अरवि कुमार शर्मा

2. वर्तमान धारित पद ज्युनियर असिस्टेंट

3. वर्तमान वेतन 36200/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-07-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ख्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ख्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

\* जहाँ लागू न हो साट दिये।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : राजपट्टे का शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पञ्जी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अर्जि के पत्रों पर जोर देकर यह घोषणा करे कि वह स्वयं के नाम पर पट्टे की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अथवा सम्पत्ति के नहीं हैं।

हस्ताक्षर अरवि कुमार शर्मा  
 नाम :  
 पद : ज्युनियर असिस्टेंट  
 विभाग : उप निदेशक, जिला



01-01-2019 to 31-12-2019.

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

2. वर्तमान धारित पर जुनिमर मशीन मॉडल

3. वर्तमान वेतन 351000-00 अगस्त वेतनबुद्धि की तारीख 01-07-2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरी		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				N/A			

यहां लागू न हो क्राफ्ट दीजिए।  
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बरतलया जाए।  
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 न्यायदेव शासकीय सेवा (अ.ब.एल) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार शहीने की अर्थात् के परबवार यह घोषणा-पत्र भर का प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्थानिय की तथा उसके हुए अर्जित अवकाश उसे विवरण में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्तिक के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवकाश सम्पत्ति के व्योरी दें।

हस्ताक्षर: अ.ब.ए.ए.  
 नाम: प्रियोज कल्याण  
 पर: जुनिमर मशीन मॉडल  
 विभाग: अ.ब.ए.ए. मशीन मॉडल

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2019 की स्थिति में 31-12-2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो उतीफ़ ख़ां 2. वर्तमान धारित पद प्रोनिमर भरीन भैन

3. वर्तमान वेतन 35100-00 4. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य ध्वन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nic			

\* यहां रखा न हो छूट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताइए।  
 \*\*\* इसमें आपकातीय घटे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यदेश शासकीय सेवक (अ.ब.रत्न) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत तथा दृष्टिपूर्व सेवा के अन्तर्गत सेवक से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में यहाँ की नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक साठ माह माह की अवधि के परमाणु यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पड़े या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीरें हैं।

हस्ताक्षर उतीफ़ ख़ां  
 नाम : उतीफ़ ख़ां  
 पद : प्रोनिमर भरीन भैन  
 विभाग : शा. श्रे. कु. प्रो. प्रो. प्रो.



फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 01/07/2017 की स्थिति में 31/12/2017 तक

उत्तर प्रदेश

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

उत्तर प्रदेश कृषि

3. वर्तमान वेतन 35100-9 आसी सेल्यूटि की श्रेणी 1-7-2020

2. वर्तमान धारित पद

उत्तर प्रदेश में

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्त्री		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की शारीर और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				गिरक			

- जहाँ लागू न हो बात दीजिए।
- देले जाते हैं जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : राष्ट्रीय राजकीय सेवक (आवक) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बर्तों दें।

हस्ताक्षर: उत्तर प्रदेश  
 नाम: उत्तर प्रदेश कृषि  
 पद: उत्तर प्रदेश में  
 विभाग: उत्तर प्रदेश कृषि

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2019 की स्थिति में 31-12-2019

1. अधिकाधिकर्नचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : नारायण कालश्रान्तकार
2. वर्तमान धारित पर : श्रीनिवा मशीन और
3. वर्तमान वेतन 35,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उच संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा जमी		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया •• खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा पत्तिया	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिकृत	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nic			

इसका... श्रीनिवा मशीन  
 नाम : नारायण कालश्रान्तकार  
 पर : श्रीनिवा मशीन और  
 विभाग : शा. क्र. 8. उवाडिया

जहां लागू न हो डाटा दीजिए।  
 •• ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 ••• इसमें अन्वयकारी पट्टे की सम्पत्तियां हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (अन्वय) नियम, 1959 के पैरा 18(3) के अन्वय में तथा द्वितीय श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी सेवा के अन्वय में प्राप्त से यह अर्जित है कि यह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याय पर या का प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक वर्ष उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के जमी हैं।



फार्म

01-01-2019 to 31-12-2019

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

2. वर्तमान धारित पद: जुनियर असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट

जुनियर असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: जुनियर असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट

3. वर्तमान वेतन: 36,200 प. 2-0-00 : आगामी वेतनबृद्धि की तारीख: 01-07-2019

वस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उत्ते किस प्रकार अर्जित किया गया ... खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुत्रिका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

- \* यहां लागू न हो बट टैपियर।
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के तदनुसार में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इन्हें अप्रकारतीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवांक (अन्वेषण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बराबर महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्थानिक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के बर्ती दें।

इस्ताफा: राजेश्वर शर्मा  
 नाम: जुनियर असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट  
 पद: जुनियर असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट  
 विभाग: जुनियर असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट

फार्म 01 01/09/2019 से 31 डिसेंबर 2019 तक

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अजित / पाली राय 2. वर्तमान धारित पद असिस्टेंट मजिस्ट्रेट  
 3. वर्तमान वेतन 33,200 + 9 - अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01-7-2020

वसूली, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खति		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावने कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंशित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन को तारीख और जिससे अंशित की गई हो उसका नाम तथा खतीरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

इस्ताफा: अजित राय  
 नाम: अजित / पाली राय  
 पद: असिस्टेंट मजिस्ट्रेट  
 विभाग: डी-डी-सु-अवातिम

\* यहाँ लागू न हो क्राइ टैरिफ।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें आल-कालीन चट्टे भी शामिल हैं।  
 टिप्पणी: संपत्ति का संपत्ति से प्राप्त आय (आकार) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम अंश, द्वितीय अंश तथा तृतीय अंशों के प्रत्येक सदस्य से यह अंशित है कि वह सेवा में पक्षी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह बीयन-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके पति/पत्नी के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खति हैं।





फार्म 01-01-2019 31-12-2019

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मेडिया/लीडमन
- वर्तमान वेतन 39,199.207 ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2020 .....
- वर्तमान धारित पद असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खंभरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खंभरा	सम्पत्ति से सार्विक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

अगर लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के उद्घरण में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें आपकाहीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : यन्त्रद्वारा शासकीय सेवक (अ.कारण) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पढ़ीने की अधि के परवार यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्थानिक की तथा उसके द्वारा अर्जित अवकाश उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवकाश सम्पत्ति के खंभरे हैं।

इलाका: श्री 221, 23, 12  
 नाम: मेडिया/लीडमन  
 पद: असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर  
 विभाग: श्री 221, 23, 12



फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2019 की स्थिति में 31-12-2019


2. वर्तमान धारित पद: जूनियर मशीन मैन

3. वर्तमान सेवानुमा: 33100 रु. अगली वेतनवृद्धि की तारीख: 1-7-2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: मोहनलाल व्यायाम

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्त्री		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIC			

\* जहाँ लागू न हो कट दौबिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, जहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में सहाया मूल्य कातलवा जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन चट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मजदूरी/वेतन/सेवा (अवकाश) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परभाव यह घोषणा करे और उसमें यह उनके स्वीकृत की तथा उसके द्वारा अधिकृत सेवाओं में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर:   
 नाम: मोहनलाल व्यायाम  
 पद: जूनियर मशीन मैन  
 विभाग: शा. डो. मं. जनावलम

फार्म 01 अगस्त 2019 से 31 दिसंबर 2019

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: **रवि प्रकाश कुंवर शर्मा**
2. वर्तमान धारित पद: **प्रिन्सिपल मशीन मैन**
3. वर्तमान वेतन: **33,100/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख: **01-7-2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)

हस्ताक्षर: **रवि प्रकाश शर्मा**  
 नाम: **रवि प्रकाश कुंवर शर्मा**  
 पद: **प्रिन्सिपल मशीन मैन**  
 विभाग: **श्री.वे. सु. वा. वि. वि.**

\* जहाँ स्थान न हो वहाँ खीर।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के उद्देश्य से लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इन्हें अचल-चलान पट्टे भी सम्मिलित है।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (अ.स.स.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्वये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के अन्त में एक बार प्रस्ताव भरें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके खीर के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीर दें।



फार्म

1907/2017  
31-12-2019

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक

की स्थिति में

2. वर्तमान धारित पर

उत्तराखण्ड राज्य सरकार

3. वर्तमान वेतन

उत्तराखण्ड राज्य सरकार की तारीख 01-07-2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खोले		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खोला	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य ध्वज	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- \* जहाँ लागू न हो काट दो।
- \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के अन्तर्भ में लागू मूल्य बतलाना आए।
- \*\*\* इनमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : न्यायप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वेषण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पकड़ी की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर सात प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्थानिक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्तित्व के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बर्तों दें।

इस्तावर... 25/12/19  
नाम :  
पर : श्रीमती मनीषा मेह  
विभाग : अतिरिक्त प्रमुख

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2019 की स्थिति में 31-12-2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो फर्स्ट टर्न 2. वर्तमान धारित घर प्रोपर्टी मन्त्री मन्त्री

3. वर्तमान वेतन 34100 अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्त्री		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nic			

इसका. 25/12/19  
 नाम : फर्स्ट टर्न  
 घर : प्रोपर्टी मन्त्री मन्त्री  
 विभाग : प्रो. प्रो. प्रो. प्रो.

\* जहां खण्ड न हो ब्रह्म संविधान  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाना आए।  
 \*\*\* इसमें अप्रकारित पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : नथरॉस शासकीय सेक्टर (अ.ब.ए.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मार्गदर्शन की अवधि के परमाणु यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्त्री हैं।





01-01-2019 to 31-12-2019

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

27/01/2019

अभिजात

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान सेल नं. अगली वेतनबुद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावे कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ••• खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

- जहाँ लागू न हो खट्ट दर्जिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अप्रकारणीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- इसमें न्यूनतम शासकीय सेवक (आ.च.स.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम डेन्टी, द्वितीय डेन्टी तथा तृतीय डेन्टी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार माहीने की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित संभव अथवा सम्पत्ति के खीर हैं।

इसका नाम :  
 पद :  
 विभाग :

27/01/2019



फार्म 01 0109991-2019 के 31 डिसेंबर 2019

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : अशोक / प्रमोद
2. वर्तमान धारित पद : असिस्टेंट मजिस्ट्रेट
3. वर्तमान वेतन : 33200/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख : 01-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा अंदर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कामचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खरीद	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)

- \* जहाँ खाल न हो डाटा डीजिटल
- \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के उद्देश्य से लागूपा गृह्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अवकाश) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन उभर, द्वितीय सेमी तथा तृतीय सेमी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ माहों की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा आरक्षण अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के बारे में।

हस्ताक्षर : अशोक / प्रमोद  
 नाम : अशोक / प्रमोद  
 पद : असिस्टेंट मजिस्ट्रेट  
 विभाग : असिस्टेंट मजिस्ट्रेट

फार्म  
 अतिवारी 2019 से 31 दिसम्बर 2019  
 की स्थिति में  
 प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक  
 अचलेश्वर शर्मा  
 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई - 2020  
 2. वर्तमान धारित पद  
 जूनियर मशीन मैन

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 3. वर्तमान वेतन 37600/-

उस जिले, उप संचाल, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खोले		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खोले	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निरंक			

हस्ताक्षर अचलेश्वर शर्मा 30/01/20  
 नाम : अचलेश्वर शर्मा  
 पद : जूनियर मशीन मैन  
 विभाग : उपनिर्माक, शासकीय क्षेत्रीय मुख्यालय, देवागिर

जहाँ लागू न हो डाटा दोहराएं।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवाक (आ.ब.ए.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार शर्तों की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा करे और उसमें यह उनके स्थानित की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने जान पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के खोले हैं।



फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2014 की स्थिति में 31-12-2019

2. वर्तमान धारित पद प्रोविजनल सहीन मैन्

लेफ्ट 29का

3. वर्तमान वेतन 31300=09 अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2020

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
- वर्तमान वेतन
- वर्तमान धारित पद

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरी		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरी	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

इस्ताफा...  
 नाम : लेफ्ट 29का  
 पद : प्रोविजनल सहीन मैन्  
 विभाग : डी. प्रो. प्र. उ. न. ग. स. म. स.

- यहाँ जगह न हो खाल दीजिए।
- ऐसे मामले में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के उद्दर्भ में साधारण मूल्य बताताया जाए।
- इसमें अल्पकालीन चट्टे भी सम्मिलित हैं।
- नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के इत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्चमी नियुक्ति के समय और उसके बाद इत्येक बाड़ महीने की अवधि के परमाणु यह जोखना-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित आकषा उन्ने विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीरी दें।

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1-1-2019 की स्थिति में 31-12-2019

पर : प्रो. प्रेम. अशोक शैल

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्रो. प्रेम. अशोक शैल
2. वर्तमान धारित पद प्रो. प्रेम. अशोक शैल
3. वर्तमान वेतन 30 A.C.D :- 47. अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खंभरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खंभरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिपति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIC			

हस्ताक्षर : [Signature]  
 नाम : प्रो. प्रेम. अशोक शैल  
 पद : प्रो. प्रेम. अशोक शैल  
 विभाग : प्रो. प्रेम. अशोक शैल

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : पञ्जाब प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा द्वातीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पञ्जाबी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षिप्त की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अथवा सम्पत्ति के बर्णन दें।





फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो से. ह्यूज 2007
2. वर्तमान धारित पद सी. डी. डी. का. डी. डी.
3. वर्तमान वेतन 41,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, जलुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से उपा अर्जन को तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

जहाँ लागू न हो काट दो/खिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलवा जाए।  
 ... इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (अ.व.व.व.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेवा, द्वितीय सेवा तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छ महीने की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हों।

हस्ताक्षर: [Signature]  
 नाम: से. डी. डी. 2007  
 पद: सी. डी. डी. का. डी. डी.  
 विभाग: सी. डी. डी. का. डी. डी.  
20/11/2019  
20/11/2019



1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

2. वर्तमान धारित पर रिजिस्ट्रार काईरो

राजेश्वरी शाही

3. वर्तमान बतान Algeria अगली बतानवृत्ति को तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खति		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खती	सम्पत्ति से शार्धिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
			NICE			

\* जहां जगह न हो काट दीजिए।  
 .. ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 ... इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : उपरोक्त शासकीय सेवक (आधारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्राप्त भूजो, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में जबकी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाक्षित की तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिभार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खति हैं।

इसका, राजेश्वरी शाही  
 नाम : राजेश्वरी शाही  
 पर : राजेश्वरी शाही  
 विभाग : राजेश्वरी शाही

फार्म


"प्रथम नियुक्ति के समय अवसल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 31 डिसेम्बर 2019 तक

की स्थिति में  
 2. वर्तमान धारित पर  
 3. वर्तमान वेतन 41,000/- आर अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2020

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो गोहनमल वर्मा, शा. श्रे. सु. सेवा.
- वर्तमान धारित पर
- वर्तमान वेतन 41,000/- आर अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खंभरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका सांस्कृतिक कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ... खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खंभरा	सम्पत्ति से आर्थिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- यहां जगह न हो खट्ट डीजिए।
- एवं नामले में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संबंध न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अन्वय में साधना मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अप्रत्यक्षतायुक्त पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजकीय सेवाक (आयकर) विधायन, 1959 के विधायन 18(3) के अन्वय प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश के दिनांक के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पढ़ीने की अपेक्षा के परमाणु पर जोखना-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आय का उल्लेख करना पर सा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति के खंभरे में।

हस्ताक्षर :   
 नाम : गोहनमल वर्मा  
 पद : यु.सी.डी.ए. कार्यालय  
 विभाग : शा. श्रे. सु. सेवा, आ/मि/अ



फार्म 01-01-19 से 31-12-2019  
 प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम जिले में यह हो **अमरानंद मेवारी**  
 2. वर्तमान धारित पर **500015052**  
 3. वर्तमान वेतन **39600 + 4752 P.A** जगदलौ केतनपुरी की तारीख **01-01-2019**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्थिति		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वीरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
				rent		

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पव्ययिता चट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवाएं (आवरण) विधन, 1959 के विधन 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में शामिल नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नई नई की अवधि के परचाए, यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अधिभूत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के स्वीर हैं।

हस्ताक्षर: **अमरानंद मेवारी**  
 नाम: **अमरानंद मेवारी**  
 पद: **500015052**  
 विभाग: **शा.कैलीम गुहाकलम जवा.**

फार्म 01 जनवरी 2017 को डा. विशाखा  
 की स्थिति में  
 प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक

2. वर्तमान धारित एव  
 05/05/2017

3. वर्तमान मूल्य  
 36400/-

अगली वेतनबुद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरूप		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका राजकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिवृक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

\* जहां खाल न हो डाटा डीकोड।  
 \*\* देते मामले में जो मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में आभास मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अधि के परचाए पर घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आय तथा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

इलाका: 3-1-1-1-2-2  
 नाम: 31116 सेना  
 पर: 05/05/2017 काई 051  
 विभाग: अर्थशास्त्र कक्षा  
 आचार्य सचिव महाराष्ट्र  
 11/11/2017 (म. 108)





1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

- 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **सुखराम भाटी**
- 2. वर्तमान वेतन **41000/-** अगली वेतनबृद्धि की तारीख **1-7-2020**
- 2. वर्तमान धारित पद **ज्युनियर एसई**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खंभर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खंभरा	सम्पत्ति से आर्थिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			

हस्ताक्षर: **22/12/19 2019**  
 नाम: **सुखराम भाटी**  
 पद: **ज्युनियर एसई**  
 विभाग: **210 जे एच डी**

- \* जहां लागू न हो केट डीजिए।
  - \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के हदों में लगभग मूल्य बालूया जाए।
  - \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी: अध्यादेश शासकीय सेवक (अंतरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थों में तथा दृष्टि से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में चकती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परकाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिग्रहण की तारीख और उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।



1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019

फार्म  
 प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्रमोद चंद्र
2. वर्तमान धारित एड UPP EAS 05C
3. वर्तमान वेतन 37300-00 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2020

वस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से अथ अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	आभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)

इसकाफ : Prab  
 नाम : प्रमोद चंद्र  
 एड : UPP EAS 05C  
 विभाग : शिव क्षेत्रीय मंडल

- \* वहां लागू न हो बात सीकिएं।
  - \*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
  - \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : पम्पउरेन शासकीय सेवक (आधारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक आठ महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिग्रहण की गई या अर्जित की गई सम्पत्ति के नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के खीरे हैं।

1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019

फार्म  
 "प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में"

1. अधिकाधिक कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, किसमें वह हो श्रीपतिश शिर्डी
2. वर्तमान धारित पद उप-डी.डी.ओ
3. वर्तमान वेतन 38400-00 अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्त्री		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावे कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टे, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)

इस्तामक श्रीपतिश शिर्डी  
 नाम : श्रीपतिश शिर्डी  
 पद : उप-डी.डी.ओ  
 विभाग : डी.डी.ओ 2010

\* यहाँ जगह न हो बरत दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के मद्देन में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (अन्वयण) नियम, 1959 के विषय 18(3) के अन्वयण प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रविष्टि की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उक्त यह उनके स्थानिक की तथा उक्तके द्वारा अर्जित आयका उक्तके विवरण में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्तिक के नाम पर पट्टे या बंधक पर उक्तके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्त्री हैं।



1 जनवरी 2019 के 31 दिसम्बर 2019 तक

फार्म  
 \*ग्रहण नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... 2. वर्तमान धारित पर ...
3. वर्तमान वेतन ... अगली वेतनबृद्धि की तारीख ...

वस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्त्री		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ... खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

हस्ताक्षर : *बी.डी. शर्मा*  
 नाम : *श्री. राजा 215*  
 पर : *22.11.2019*  
 विभाग : *215 नो. 2019*

\* जहाँ जग न हो बाद दौड़िये।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे की सम्मिलित है।  
 टिप्पणी : गणराज्य शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में यथोचित निर्यात के समय और उसके बाद प्रत्येक साठ महीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिकृत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति के स्त्री हैं।

15 नवम्बर 2019 को 31 दिनों तक 2019

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **शुभेश कुमार**
2. वर्तमान धारित पद **Executive**
3. वर्तमान वेतन **35100/-** अगली वेतनबृद्धि की तारीख **1-7-2020**

वस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइए कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गुड़ तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)

\* यहाँ ध्यान न हो साइट डीकल्प।  
 \*\* ऐसे मामले में यहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संबंध न हो, यहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतावना आए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : पण्डित शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अंतर्गत प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पक्षी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सही-सही की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उनके विरासत में मिली या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित संपत्ति का विवरण के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर **शुभेश कुमार**  
 नाम : **शुभेश कुमार**  
 पद : **Executive**  
 विभाग : **ग्राम सेवा केंद्र अलाहाबाद**



फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 1 जनवरी 2019 की स्थिति में य 31 दिसम्बर 2019 तक

2. वर्तमान धारित पद : जून वाईडर

गोपाल दास बाधम

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

3. वर्तमान वेतन : 35,100/- अगली वेतनबृद्धि की शरीख

उस विले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की शरीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)

इलाका : गोपाल दास बाधम  
 नाम : गोपाल दास बाधम  
 पद : जून वाईडर  
 विभाग : शांति क्षेत्र मुं ज्वालियर

\* जहाँ खाना न हो डाटा डीजिटल  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 ... इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : सम्पत्ति का शासकीय सेवक (अ.ब.प.) नियम, 1959 के विधय 18(3) के अन्वये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचार यह घोषणा-पत्र भर का प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आय का उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीरे दें।

निरंक

11 जनवरी 2019 के 31 दिनों में 2019

फार्म  
 "प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में"

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो जि.रे.डी. ज.टी.टी.टी.  
 2. वर्तमान धारित पद ज्यु. एडि.से.  
 3. वर्तमान वेतन 35,100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2020

उस विधि, उय संभाग, शाखा का तथा नाम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा धारि		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वीया	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

हस्ताक्षर: [Signature]  
 नाम: जि.रे.डी. ज.टी.टी.टी.  
 पद: ज्यु. एडि.से.  
 विभाग: श्री.टी.टी.टी.टी.टी.टी.

\* जहां स्थान न हो फाट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के हद-दर्श में लगभग मूल्य बताकर देना चाहिए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन घट्टे भी शामिल किए हैं।  
 टिप्पणी: संपत्ति/संसाधन सेवक (अ.व.स.) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अंतर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पंजीयन/नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के अंतर्गत यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित/आवक/उले विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर घट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।



17 नवंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019

फार्म  
 "प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में"

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो स्तीश एंडर्स  
 2. वर्तमान धारित पद ज्यु. एडि. डी. ए.  
 3. वर्तमान वेतन 35100000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2020

वस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, बिरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)

हस्ताक्षर... स्तीश एंडर्स  
 नाम : स्तीश एंडर्स  
 पद : ज्यु. एडि. डी. ए.  
 विभाग : डी. टी. डी. 050 2010

\* जहां लागू न हो डाटा दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन चट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवाएं (आचारण) विभाग, 1959 के नियम 18(3) के अर्धीन प्राप्त भूमि, कृषिगत भूमि तथा पूर्णतः अज्ञेय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में यादगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार यहीने की अधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे बिरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।





1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो एश्विनी राव
2. वर्तमान धारित पद उप निदेशक
3. वर्तमान वेतन 56200.00 अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2020

वस विले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरूप		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वीरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गुड़ तथा अन्य पकन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

हस्ताक्षर: H. D. ...  
 नाम: एश्विनी राव  
 पद: उप निदेशक  
 दिनांक: 21/01/2020

\* जहाँ लागू न हो तब टीपिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के अन्वय में लागू मूल्य बतलाना आए।  
 \*\*\* इसमें अप्रत्याशित पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टीपणियाँ : यथावदेत शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्वयण में, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रत्येक बार भर्ती होने की अवधि के पर्याय पर सौंपना-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विभागत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त बचल सम्पत्ति के स्वीर हैं।

1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में फार्म

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: राजेश कुमार शर्मा
2. वर्तमान धारित पद: L 20 0115 05C
3. वर्तमान वेतन: 36200/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख: 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खति		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावे कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

\* जहाँ लागू न हो काल टीपिए।

- \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अप्रकारालीन चट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी: सम्पत्तियों शासकीय सेवक (अ.कारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में यहाँ तक कि सम्पत्ति के अभाव में प्रत्येक बार प्रतीने की अवधि के पर्याय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्थानिक की तथा उसके द्वारा अर्जित अवधि उसे विवरण में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चढ़े या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अचल सम्पत्ति के खती हैं।

हस्ताक्षर: राजेश कुमार शर्मा  
 नाम: राजेश कुमार शर्मा  
 पद: L 20 0115 05C  
 तिथि: 21/01/2019



1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक

फार्म  
 प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मी शिवा रेवा
2. वर्तमान धारित पद ज्यो एन डी एस
3. वर्तमान वेतन 36200.00 अगली वेतनबृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	औद्योगिक	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				nick			

इस्ताफा: ABMA  
 नाम: मी शिवा रेवा  
 पद: ज्यो एन डी एस  
 विभाग: 2110 डी एच डी एस

\* जहाँ लागू न हो कोटा डीकार्ड।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन चट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आयकर) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में चकती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने नौ अधि के परचाएँ यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके खीरा के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीरे हैं।

फार्म 01-01-2019-10-31-12-8019.

प्रथम नियुक्ति के समय अखिल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक

की स्थिति में

अभिप्रेत पंजी

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो

2. वर्तमान धारित पर

3. वर्तमान वेतन

अखिल वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति रिकार्ड हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्त्री		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया •• खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिप्रेतिका	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

• यहां लगा न ही इत डीजिए।  
 • ऐसे मामले में जो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के तर्जुन में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 •• इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 ••• इसमें अल्पकालीन पट्टे (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्वयण प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचार यह श्रेणियां-एच आर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाभाविक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अखिल सम्पत्ति के स्त्री दें।

इलाका: ...  
 नाम: ...  
 पर: ...  
 विभाग: ...



फार्म 01 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 -

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डि.डी.ए. सेवानिवृत्त
2. वर्तमान भारत पर यू.ए.ए. वरिष्ठ
3. वर्तमान वेतन ₹ 62,000 + 4000 - अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खीरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, धेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)

इसका उल्लेख द्वितीय सेवानिवृत्त  
 नाम : डि.डी.ए. सेवानिवृत्त  
 पद : यू.ए.ए. वरिष्ठ  
 विभाग : यू.ए.ए. वरिष्ठ

- \* उक्त नाम न हो कार्रवाई।
- \*\* ऐसे मामले में जो मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- दिल्ली : राष्ट्रीय शासकीय सेवा (अवकाश) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्राप्त भूखंड, द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याय वह भूखंड-पत्र पर कर प्रस्ताव करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवकाश उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीरे दें।

11 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019

फार्म  
 \*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में  
 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रविंद्र अश्व  
 2. वर्तमान धारित पद एग्जिक्टिव  
 3. वर्तमान वेतन 35100-एच अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्वीर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिगत की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा स्वीर	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिपुत्रिका	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NICK			

\* कहीं लागू न हो सार टिकिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाना जाए।  
 \*\*\* इनमें अप्रकारणित चट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अध्यापक) विधम, 1959 के विधम 18(3) के अधीन उनम अेना, द्वितीय अेणी तथा तृतीय अेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पकड़ी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक साठ महीने की अवधि के पर्याय पर चौपना-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाभाविक नौ तथा उसके द्वारा अधिगत भवना उसे विवरण में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल संपत्ति के स्वीर हें।

इस्तासक 2.5.18/22/19  
 नाम : रविंद्र अश्व  
 पद : एग्जिक्टिव  
 विभाग : श्री गे 030 खे 11/12/19



1 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2019 तक

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो राजेश कुमार शर्मा (पूर्व) 2. वर्तमान धारित पद एग्जिक्यूटिव
3. वर्तमान वेतन 35100 रु 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, तप संभाग, शासकीय तथा प्राय का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यो		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यो	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)

इलाका: बलरामपुर  
 नाम: राजेश कुमार शर्मा (पूर्व)  
 पद: एग्जिक्यूटिव  
 विभाग: श्री 020800 अत्याधिक

\* यहाँ प्राय न हो डाटा दीजिये।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण कठिन संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में साधारण मूल्य बतलाया जाय।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे की सम्मिलित है।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वय) नियम, 1959 के विधन 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार जब महीने की अर्द्धिक के परचाय यह घोषणा-पत्र धार कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यो दें।

फार्म  
 प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 31 दिसम्बर 2019 को स्थिति में  
 1. अधिकाारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... अनिल कुमार  
 2. वर्तमान धारित पद ... उप निरीक्षक  
 3. वर्तमान वेतन ... S.2,200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा खेती		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावें कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ••• खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खेती	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिपुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				NIL			

हस्ताक्षर अनिल कुमार  
 नाम : अनिल कुमार  
 पद : उप निरीक्षक  
 विभाग : अनिल कुमार  
अनिल कुमार  
अनिल कुमार

जहाँ लागू न हो वहाँ टिकें।  
 ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संबंध न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाना आए।  
 ... इसमें अनपेक्षित पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अन्वयण) विधायक, 1959 के विधायक 10(3) के अन्वयण प्रथम अंश, द्वितीय अंश तथा तृतीय अंश से यह अपेक्षा है कि यह सेवा में पेशगी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पेशगी की अवधि के पर्याय यह शेष-पत्र भा का प्रयुक्त करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा आर्जन अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित संपत्ति अथवा सम्पत्ति के बर्तौ हैं।



फार्म  
01 जनवरी 31 दिसम्बर 2019  
की स्थिति में

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अजय पवार
2. वर्तमान धारिता पद पोस्टल असिस्टेंट
3. वर्तमान वेतन 39800/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01-01-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया ••• खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा ब्योरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				nil			

\* जहाँ लागू न हो डाटा दीजिये।  
 •• ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 ••• इसमें अस्पष्टताएँ पढ़ें भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : राष्ट्रीय राजमार्ग सेवक (आवक) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रवेश की अवधि के परमाणु पर ध्यान देकर प्रवेश करे और उसके बाद उसके शासकीय की सेवा से प्राप्त आय का उससे अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़ें या अधिक पर उसके द्वारा धारित संपत्ति अपस सम्पत्ति के ब्योरे दें।

इसकातः अजय पवार  
 नाम : अजय पवार  
 पद : पोस्टल असिस्टेंट  
 विभाग : डाक ऑफिस बालासोर